



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 2320/2023

रमेश चक्रधारी, पिता- जयराम चक्रधारी, आयु- लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय- मिस्री,
निवासी- वार्ड सं. 09, शिव नगर, कुम्हारी, थाना- कुम्हारी, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना- कुम्हारी, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिखर बख्तियार, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री प्रवीण दास, अतिरिक्त मिहाधिवक्ता और श्री सौम्या
राय, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु

पीठ पर आदेश

द्वारा, श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

26/11/2025

1. यह दाण्डिक अपील विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र निर्णय दुर्ग, जिला दुर्ग द्वारा सत्र
विचारण सं. 70/2022 में पारित 19.10.2023 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और



दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.द.वि.) की धारा के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है और उसे आजीवन कारावास और रु.1,000/- के जुर्माने की और जुर्माने का भुगतान करने पर 3 माह के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास से गुजरने के शर्त की सजा सुनाई गई है।

2. अपीलार्थी/सिद्धदोष पर पुलिस थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग के अंतर्गत वार्ड संख्या 9, शिवनगर, कुम्हारी में स्थित अपने ही घर में 19:00 बजे अपनी पत्नी ललिता चक्रधारी (जिसे इसके बाद 'मृतका' के रूप में संदर्भित किया गया है) की उस पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने के लिए भा.द.वि. की धारा 303 के तहत आरोप लगाया गया था।

3. इस प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि मृतका अपीलार्थी की पत्नी है। पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) मृतका और अपीलार्थी की पुत्री है और रोशन चक्रधारी (अ.सा.-3) मृतका और अपीलार्थी का पुत्र है। अपीलार्थी राजेश चक्रधारी (अ.सा.-2) का भाई है। अपीलार्थी सुकल्या बाई (अ.सा.-4) और हरीश चक्रधारी (अ.सा.-6) का भतीजा है।

4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में यह है कि 09.01.2022 दिनांकित घटना से दो से तीन माह पहले, अपीलकर्ता अपनी पत्नी, अर्थात् मृतका को उसके चरित्र के बारे में संदेह के कारण गाली दे रहा था और उसे पीट रहा था, यह दावा करते हुए कि उसका किसी लक्ष्मीनारायण चक्रधारी के साथ संबंध था। 09.01.2022 को, जब मृतका कुम्हारी में साप्ताहिक बाजार से सब्जियां खरीदने के बाद शाम लगभग 7:00 बजे घर लौटी, अपीलार्थी ने कहा कि वह लक्ष्मीनारायण के साथ बाजार गई थी और उसे पीटने लगा। उस समय शिकायतकर्ता पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) और उसका छोटा भाई रोशन चक्रधारी (अ.सा.-3) घर पर मौजूद थे। दुर्व्यवहार से नाखुश होकर शिकायतकर्ता पूजा चक्रधारी घर से निकलकर बगल में अपनी दादी के घर चली गई। उसी समय जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) ने अपनी माता को जलती हुई



हालत में घर से बाहर निकलते देखा, जिस पर पड़ोसियों ने आग बुझाई। इसके बाद मृतका को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी लाया गया। मृतका उस समय बात कर रही थी। जब पूजा चक्रधारी ने अपनी माता से पूछा कि यह कैसे हुआ, मृतका ने जवाब दिया कि उसके पिता अर्थात् अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे मारने के लिए माचिस की तीली से आग लगा दी। 09.01.2022 को ही, मृतका का कथन (प्र. P/20) पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। 10.01.2022 को, पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) ने डी.के.एस. अस्पताल, रायपुर में देहाती नलशी (प्र. P/1) दर्ज कराई। देहाती नलशी के आधार पर भा.द.वि. की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया और प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

5 अन्वेषण के दौरान, 10.01.2022 पर, शिकायतकर्ता पूजा चक्रधारी (PW-1) की प्रस्तुति पर, मृतका के सादे कपड़े और जले हुए कपड़े प्र. P/4 के अनुसार जब्त कर लिए गए। उसी दिनांक को, घटना का एक स्थल मानचित्र (प्र. P/2) तैयार किया गया था, जब्ती ज्ञापन (प्र. P/13) के अनुसार, घटनास्थल से सादे मिट्टी, मिट्टी के तेल से भरी मिट्टी, माचिस का डिब्बा और मिट्टी के तेल के साथ एक प्लास्टिक का पात्र जब्त किया गया था। 10.01.2022 पर ही, अपीलार्थी के कहने पर, जब्ती ज्ञापन (प्र. P/12) के अनुसार, घटना के समय पहने गए कपड़ों को जब्त कर लिया गया था। डी. के. एस. अस्पताल में कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा <आई. डी. 1 पर मृतका की मृत्युकालीन घोषणा (प्र. P/17) अभिलिखित की गई, जिसमें मृतका ने कहा कि उसके पति, अर्थात् अपीलार्थी ने उस पर हमला किया था, उस पर मिट्टी का तेल डाला था और उसे आग लगा दी थी। उसी दिनांक को, दृश्य का निरीक्षण किया गया और एक पंचनामा (प्र. P/10) तैयार किया गया और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध अपराध का साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

6 उपचार के दौरान, 16.01.2022 पर, मृतका की मृत्यु के बाद, थाना, गोल बाजार, रायपुर की पुलिस द्वारा सूचना पर एक मर्ग सूचना (प्र. P/18) अभिलिखित की गई थी।



इसके बाद मृतका के शव को शव परीक्षण के लिए डॉ. बी. आर. आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर भेजा गया, जहां 16.01.2022 पर शव परीक्षण किया गया। गोलबाजार थाना से प्रकरण डायरी मिलने पर, भा.द.वि. की धारा 242 के तहत अपराध 4

प्रकरण में जोड़ा गया। अन्वेषण के दौरान, शिकायतकर्ता, पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) और अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। 02.02.2022 पर, जब्त की गई वस्तुओं के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन प्रदान करने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुम्हारी को एक पत्र भेजा गया था। 10.02.2022 पर, जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर, कुम्हारी द्वारा भेजे गए ज्ञापन (प्र. P/22) के आलोक में, पटवारियों ने घटना का एक नक्शा तैयार किया (प्र. P/3)।

7 अन्वेषण पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भिलाई 3, जिला दुर्ग में अभियोग पत्र चा प्रस्तुत किया गया। चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए प्रकरण दिनांक 13.04.2022 के आदेश के माध्यम से सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

8 अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया गया था। अपीलार्थी ने अपराध को छोड़ दिया और विचारण के लिए प्रार्थना की।

9. अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1), राजेश चक्रधारी (अ.सा.-2), रोशन चक्रधारी (अ.सा.-3), सुकल्या बाई (अ.सा.-4), डॉ. शिवनारायण माझी (अ.सा.-5), हरीश चक्रधारी (अ.सा.-6), परमेश्वर महाना (अ.सा.-7), गणेश राजपूत (अ.सा.-8), अभिषेक राठौर, तहसीलदार



(अ.सा.-9), कमल सिंह सेंगर, उप निरीक्षक (अ.सा.-10) और सुधांशु बघेल शामिल हैं। फेल, निरीक्षक (अ.सा.-11)। अभियोजन पक्ष ने 29 प्रदर्शनी प्रदर्शित की।

10. धारा 313 द.प्र.सं. परीक्षण तहत अपीलार्थी/अभियुक्त से पूछताछ करने पर, उसने कहा कि वह निर्दोष था और उसे गलत तरीके परीक्षण से फंसाया गया था। उन्होंने अधिकांश प्रश्नों का खंडन किया और कुछ प्रश्नों के संबंध में अपनी अज्ञानता व्यक्त की।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि इस निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में विस्तृत है। इसलिए, अपीलार्थी/ सिद्धदोष द्वारा वर्तमान अपील।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री शिखर बख्तियार प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मृतका की मृत्यु उसे लगी जलने की चोटों से हुई थी। हालाँकि, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी को प्रश्न अपराध से जोड़ा जा सके। अपीलार्थी को इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। केवल संदेह के आधार पर, अपीलार्थी को इस प्रकरण में शामिल किया गया है। मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकरण में चिकित्सक का कोई वैध प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है जो यह सुझाव दे सकता है कि मृतका अपनी मृत्युकालीन घोषणा देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, किस आधार पर मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित की गई है, यह विचार करने योग्य प्रश्न है। तदनुसार, वह प्रार्थना करता है कि अपील की अनुमति दी जा सकती है और अपीलार्थी को आरोपों दोष मुक्त किया जा सकता है।

13 दूसरी ओर, श्री प्रवीण दास, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सौम्या राय की सहायता से, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण कोर्ट अपीलार्थी के अपराध के संबंध में एक निष्कर्ष पर सही



ढंग से पहुंचा है और विद्वान विचारण कोर्ट अपीलार्थी को प्रश्न अपराधों के लिए दोषी ठहराने और सजा देने में पूरी तरह से उचित था। निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है और इस प्रकार, यह किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है और अपील खारिज की जानी चाहिए।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपरोक्त तर्क-वितर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया है।

15. यह विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु जलने की चोटों से हुई, जैसा कि शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. शिव नारायण मांझी (अ.सा.-5) के अभिसाक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र. P/8) से भी स्पष्ट है, जिसमें उक्त चिकित्सक ने राय दी है कि मृत्यु का कारण जलने और उनकी जटिलताओं के परिणामस्वरूप हृदय थसन विफलता थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन में, चिकित्सक ने पाया कि घाव के चारों ओर आंशिक उपचार प्रभाव के साथ शरीर के निम्नलिखित हिस्सों में संक्रमण के कारण दुर्गंध और त्वचा के झड़ने के साथ हरे पीले रंग के मलिनकिरण के साथ सतही संक्रमित जलन हुई है:- ठोड़ी की सतह के नीचे, नाक की नोक, निचले होंठ, गर्दन के चारों ओर, दोनों मैक्सिलरी भाग, छाती के चारों ओर, दोनों ऊपरी अंग, पेट के चारों ओर, जननांग और दोनों निचले अंग पूरे जले हुए हैं (सामने के भाग, गाल और नाक के बाकी हिस्सों को छोड़कर, दोनों अंगूठे और प्लांटर, और गर्दन के पिछले से एड़ी तक जली हुई)। जलने की प्रकृति मृत्युपूर्व की (एंटीमॉर्टम) पाई गई। जलन सूखी (लौ) जलन थी और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उक्त तथ्य को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खण्डित नहीं किया गया है और इस प्रकार, यह न्यायालय यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या वह अपीलार्थी ही था जो विचाराधीन अपराध का कारक है।



16. पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1), जो मृतका तथा अपीलार्थी की पुत्री है ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिकथन किया है कि वह अपने घर से सटे हुए अपनी दादी के घर में थी। उसने अपनी माता को जली हुए हालत में अपने घर से बाहर निकलते देखा और उसने अपने भाई, दादी के साथ आग बुझाई और वे उसे अस्पताल ले गए। उसने कहा कि उसे मृतका ने सूचित किया था कि मृतका ने स्वयं मिट्टी का तेल डाला था और खुद को आग लगा ली थी। मृतका को कुम्हारी के अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ से, उसे डी. के. एस. अस्पताल, रायपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान, एक सप्ताह के बाद, उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। प्रति-परीक्षण में उसने कहा कि उसकी माता को अपीलकर्ता पसंद नहीं था क्योंकि वह गंदी भाषा बोलता था और उसके चरित्र पर संदेह करता था।

17. राजेश चक्रधारी (अ.सा.-2), अपीलार्थी का भाई है। उसने कहा कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो आग बुझ चुकी थी। पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1) ने उसे कुछ नहीं बताया। मृतका को उसके ऑटोरिक्शा में अस्पताल ले जाया गया। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

18. राकेश चक्रधारी (अ.सा.-3) अपीलार्थी और मृतका का पुत्र है। घटना के समय वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, जिन्होंने उसे बताया कि कुछ जल रहा है और जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता जल रही थी तो उसने अन्य दोस्तों के साथ आग बुझाई। उसने अपने बड़े पिताजी को बुलाया जो अपना ऑटोरिक्शा लाए जिसमें वे मृतका को अस्पताल ले गए। उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था क्योंकि उसने कहा था कि वह इस बात से अनजान था कि उसकी माता को किसने जलाया और यह घटना कैसे हुई। सुकल्या बाई (अ.सा. -4) अपीलार्थी की चाची है। वह भी पक्षद्रोही हो गई और अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। हरीश चक्रधारी अपीलार्थी का चाचा है। वह भी मुकर गया है और उसने घटना के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। इसी तरह, जसी के साक्षी परमेश्वर



महाना (अ.सा.-7) भी मुकर गया और कहा कि पुलिस ने उसकी उपस्थिति में कुछ भी जब्त नहीं किया था। एक अन्य साक्षी गणेश राजपूत (अ.सा.-8) भी मुकर गया और अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा कोई कपड़े जब्त नहीं किए गए थे।

19. इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी तहसीलदार अभिषेक राठौर (अ.सा.-9) है जिसने मृत्युकालीन घोषणा (प्र.P/17) दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उप-मंडल दण्डाधिकारी, रायपुर से मृत्युकालीन घोषणा दर्ज करने का आदेश मिला और उक्त आदेश के अनुपालन में, वह सुबह 11:50 बजे डी.के.एस. अस्पताल, रायपुर पहुंचा और मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित की, जैसा कि मृतका ने कहा था। जब उसने मृतका को देखा, तो वह जली हुई हालत में थी परन्तु अच्छी तरह से उन्मुख थी। जब उसने पूछा कि वह कैसे जल गई, तो मृतका ने उसे बताया कि बाजार से लौटने के बाद उसके और अपीलार्थी के मध्य झगडा हुआ था। उसने आगे कहा कि सबसे पहले, अपीलार्थी ने उस पर हमला किया और उसके बाद, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दिया। प्रति-परीक्षण में, इस साक्षी ने कहा कि मृतका की स्वस्थ मानसिक स्थिति के संबंध में, ताकि मृत्युकालीन घोषणा की जा सके, उसने मौखिक रूप से इलाज करने वाले चिकित्सक से पूछा था, जिस पर चिकित्सक ने कहा था कि वह अपनी मृत्युकालीन घोषणा देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी।

20. मृत्युकालीन घोषणा के अलावा, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध से जोड़ सके। आश्चर्य की बात है कि मृतका के इलाज के संबंध में कोई एम.एल.सी. प्रतिवेदन या कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया गया है। मर्ग सूचना (प्र. P/18) में कहा गया है कि मृतका को 90 प्रतिशत गहरी उष्मीय क्षति पहुँची थी।

21. प्रकरण में यह अविवादित है कि मृतका की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई। इसके अलावा, अभियोजन साक्षियों- पूजा चक्रधारी (अ.सा.-1), राजेश चक्रधारी (अ.सा.-2)



और रोशन चक्रधारी (अ.सा.-3) का साक्ष्य दर्शाता है कि यद्यपि उन्होंने मृतका को आग में जलते हुए देखा और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, परन्तु उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि आग कैसे लगी। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस प्रकरण में यह भी निर्विवाद है कि मृतका की मृत्यु 16.01.2022 को उपचार के दौरान हुई। अपीलार्थी को केवल मृत्युकालीन घोषणा (प्र.P/17) के आधार पर सिद्धदोषी किया गया है और अपीलार्थी को सिद्धदोष करने के लिए उपरोक्त मृत्युकालीन घोषणा के अलावा कोई अन्य मौखिक या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है।

22. कहा गया है कि यह घटना 09.01.2022 को हुई थी और 16.01.2022 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतका का कथन तहसीलदार अभिषेक राठौर (अ.सा.-9) द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसमें मृतका ने कहा था कि वह अपीलकर्ता था जिसने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दिया। यद्यपि, यह प्रमाणित करने के लिए इलाज करने वाले चिकित्सक का कोई प्रमाण- पत्र नहीं है कि मृतका अपनी मृत्युकालीन घोषणा देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी।

23. 19.11.2025 को, जब इस मामले को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो इस न्यायालय ने कहा था कि तहसीलदार ने उस चिकित्सक के नाम का खुलासा नहीं किया था, जिसने मौखिक रूप से कहा था कि मृतका अपनी मृत्युकालीन घोषणा करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अलावा, मृतका का उपचार करने वाले चिकित्सक का नाम भी अभिलेख में नहीं लाया गया है और इस तरह, डीन, डी. के. एस. अस्पताल, रायपुर को निर्देश दिया गया है कि वे इस न्यायालय को सूचित करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि किस चिकित्सक ने तहसीलदार को मृतका की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सूचित किया था। इसके अलावा, राज्य के मुख्य सचिव को मृतका की मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित करने वाले तहसीलदार से मिलने के लिए अपना व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत कर उस चिकित्सक का नाम स्पष्ट करने का भी निर्देश



दिया गया, जिससे तहसीलदार ने ऐसी जानकारी प्राप्त की थी और मामले को आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

24. 19.11.2025 दिनांकित आदेश के अनुपालन में, चिकित्सा अधीक्षक-सह-शैक्षणिक प्रभारी, डी. के. एस. सुपरस्पेशलिटी अस्पताल और पीजी संस्थान रायपुर ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि एक समिति का गठन किया गया जिसमें खेमलाल वर्मा, उप निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, डॉ. रविकांत दास, विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, डॉ. एस.बी.एस. नेताम, विभागाध्यक्ष, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, डॉ. स्निग्धा जैन, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग एवं डॉ. नागेंद्र सिंह सोनवानी, सहायक प्राध्यापक, फॉरेंसिक मेडिसिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल चिकित्सा कॉलेज, रायपुर सम्मिलित थे। उक्त समिति ने राय दी है कि डॉ. अजीज आलम और डॉ. समृद्धि अग्रवाल ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे और मृत्युकालीन घोषणा दर्ज करने के लिए रोगी की चिकित्सकीय स्थिति के बारे में घोषणा करने के लिए जिम्मेदार थे और अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट था कि रोगी होश में थी और उन्मुख थी। यह भी राय दी गई है कि न तो कार्यपालक दण्डाधिकारी और न ही अन्वेषण अधिकारी ने मृत्युकालीन घोषणा पर कर्तव्य पर उपस्थित चिकित्सक से मत और हस्ताक्षर प्राप्त किया।

25. शपथ-पत्र के साथ एक दस्तावेज़ (अनुलग्नक A/2) संलग्न किया गया है जो कि थाना प्रभारी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग द्वारा मृतका की चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में चिकित्सा अधिकारी, शासकीय अस्पताल, कुम्हारी को भेजा गया एक ज्ञापन है, जिसमें मृत्युकालीन घोषणा करने के लिए कहा गया है क्योंकि वह 70 प्रतिशत जली हुई थी। डॉ. श्रेय चंद्राकर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हारी, जिला दुर्ग ने उसी ज्ञापन पर एक टिप्पणी की है जिसमें कहा गया है कि पीड़िता अपनी मृत्युकालीन घोषणा देने की स्थिति में थी। उक्त ज्ञापन 09.11.2022 दिनांकित है। मृतका के चिकित्सकीय अभिलेख को शपथ-पत्र के साथ संलग्न किया गया है जो वस्तुतः प्रदर्शों



का हिस्सा होना चाहिए था और अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

26. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव द्वारा भी एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित तहसीलदार अभिषेक राठौर को ज्ञापन जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में उक्त तहसीलदार ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि उसने मृतका का उपचार कर रहे एक चिकित्सक से मौखिक निर्देश लिए थे, परन्तु वह उक्त चिकित्सक का नाम याद नहीं कर सका। उक्त शपथ-पत्र में वह आगे वही दोहराता है जो चिकित्सा अधीक्षक ने अपने हलफनामे में कहा है।

27. एक मृत्युकालीन घोषणा एक ऐसे व्यक्ति का कथन है जो मरने की उम्मीद करता है, अपनी मृत्यु का कारण और परिस्थितियाँ बताता है, और ऐसा मौखिक रूप से, लिखित रूप में या इशारों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रक्रिया में एक सक्षम व्यक्ति, आदर्श रूप से एक दण्डाधिकारी या चिकित्सक द्वारा क्षति पहुँचने के बाद जितनी जल्दी हो सके कथन के सटीक शब्दों को अभिलिखित करना सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घोषणाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ है और प्रश्नों को समझता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कथन स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती या प्रभाव के किया जाना चाहिए।

28. इस न्यायालय ने, समान तथ्यों और परिस्थितियों में, **अर्जुन सिंह राजपूत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य¹** के मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) को ध्यान में रखते हुए, **शरद बिरधिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य²**, **देविंदर उर्फ काला राम व अन्य बनाम हरियाणा राज्य³**, **पुरुषोत्तम चोपड़ा व एक अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली**

1 Cr.A.No. 114/2021, decided on 03.02.2025

2 (1984) 4 SCC 116

3 (2012) 10 SCC 763



शासन)⁴, कंस राज बनाम पंजाब राज्य⁵ के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर गौर करते हुए उसमें अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया और उसे आरोपों से दोषमुक्त किया।

29. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हारी, जिला दुर्ग के डॉ. श्रेय चंद्राकर ने 09.01.2022 को रात्रि लगभग 8:35 बजे योग्यता (फिटनेस) की तथाकथित टिप्पणी अभिलिखित की परन्तु रोगी को डी. के. एस. अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ अगले दिन अर्थात् 10.01.2022 को रात्रि लगभग 11:58 बजे मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित की गई और किसी भी चिकित्सक द्वारा जारी किया गया कोई योग्यता (फिटनेस) प्रमाणपत्र नहीं है जो डी. के. एस. अस्पताल, रायपुर में रोगी का उपचार कर रहा था।

30. मृत्युकालीन घोषणा के सावधानीपूर्वक परिशीलन से पता चलता है कि मृतका ने कहा कि झगड़े के बाद उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। विचारार्थ प्रश्न यह होगा कि क्या उसके द्वारा की गई मृत्युकालीन घोषणा सत्य और स्वैच्छिक थी और क्या दोषसिद्धि संपोषण के बिना उस पर आधारित हो सकती है?

31. सर्वोच्च न्यायालय ने **जयम्मा व एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**⁶ के प्रकरण में **चाको बनाम केरल राज्य** को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“14.2. **चाको बनाम केरल राज्य**⁷ के मामले में, इस न्यायालय ने मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर अभियोजन पक्ष के प्रकरण को स्वीकार करने से मना कर दिया जहां मृतक की आयु लगभग 70 वर्ष थी और वह 80 प्रतिशत जल गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि आहत व्यक्ति जलने के लगभग 8 से 9 घंटे के

4 (2020) 11 SCC 489

5 AIR 2000 SC 2324

6 (2021) 6 SCC 213

7 (2003) 1 SCC 112, paras 3 and 4



अंतराल के बाद एक विस्तृत मृत्युकालीन घोषणा कर सकता था, जिसमें हेतुक और जिस तरह से उसे चोटें लगी थीं, उसके बारे में सूक्ष्म विवरण दिया गया हो। यह निश्चित रूप से एक ऐसा प्रकरण था जहां मृतक की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में चिकित्सक द्वारा मृत्युकालीन घोषणा करने के लिए कोई प्रमाणन नहीं था। फिर भी, इस न्यायालय ने राय दी कि जिस तरह से घटना को मृत्युकालीन घोषणा में अभिलिखित गया था, उसने दस्तावेज की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा किया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि चिकित्सक ने घाव के प्रमाण- पत्र में "रोगी के होश में आना, बात करना" अभिलिखित किया था, परंतु यह तथ्य अपने आप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण को रोगी की मृत्युकालीन घोषणा करने की स्थिति के बारे में आगे नहीं बढ़ाएगा, न ही चिकित्सक या जाँच अधिकारी का मौखिक साक्ष्य, जो पहली बार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष के मामले को बेहतर बनाएगा।”

32. सर्वोच्च न्यायालय ने **इरफान @ नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁸** के मामले में यह विश्वास करने के लिए कुछ मापदंडों पर विचार किया है कि केवल मृत्युकालीन घोषणा पर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

“62. यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है कि मृत्युकालीन घोषणा कब स्वीकार की जानी चाहिए; न्यायालय का कर्तव्य इस प्रश्न का निर्णय प्रकरण के तथ्यों और आसपास की परिस्थितियों में करना है और इसकी सत्यता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना है। नीचे दिए गए कुछ कारकों को उसी को निर्धारित करने के लिए माना जा सकता है, यद्यपि, वे



केवल मृत्युकालीन घोषणा के बल को प्रभावित करेंगे न कि इसकी स्वीकार्यता को:-

- (i) क्या कथन करने वाला व्यक्ति मृत्यु की उम्मीद में था?
- (ii) क्या मृत्युकालीन घोषणा जल्द से जल्द की गई थी? "पहले अवसर का नियम"
- (iii) क्या यह मानने के लिए कोई उचित संदेह है कि मरने वाले व्यक्ति को मृत्युकालीन घोषणा सिखाई गई थी?
- (iv) क्या मृत्युकालीन घोषणा पुलिस या किसी हितबद्ध पक्ष के कहने पर उकसाने, सिखाने के कारण था?
- (v) क्या कथन ठीक से अभिलिखित नहीं किया गया था?
- (vi) क्या मृत्युकालीन घोषणा करने वाले को घटना को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला था?
- (vii) क्या मृत्युकालीन घोषणा पूरे समय एकरूप रही है?
- (viii) क्या मृत्युकालीन घोषणा अपने आप में मरने वाले व्यक्ति की कल्पना की अभिव्यक्ति/कल्पना है कि वह क्या सोचता है?
- (ix) क्या मृत्युकालीन घोषणा स्वयं स्वैच्छिक थी?
- (x) अनेक मृत्युकालीन घोषणाओं के प्रकरण में, क्या पहली घोषणा सत्य को प्रेरित करती है और अन्य मृत्युकालीन घोषणाओं के अनुरूप है?
- (xi) क्या चोटों के अनुसार, मृतक के लिए मृत्युकालीन घोषणा करना असंभव





होता?

63. अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे। सन्देह का लाभ सदैव अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए। यह सच है कि मृत्युकालीन घोषणा एक ठोस साक्ष्य है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए बशर्ते यह साबित हो कि यह स्वैच्छिक और सत्य था और पीड़ित मन की स्वस्थ स्थिति में था। न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्युकालीन घोषणा विश्वसनीय है क्योंकि अभियुक्त को मृत्युकालीन घोषणा में हमलावर के रूप में नामित किया गया है।"

33. मृत्युकालीन घोषणा करने से पहले पीड़ित की मानसिक स्थिति के बारे में अलग प्रमाण- पत्र के अभाव के संबंध में, निर्णय पर भरोसा करते हुए, **पापरमबाका रोसम्मा व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य⁹** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"9. यह सच है कि मृत्युकालीन घोषणा के अंत में चिकित्सा अधिकारी डॉ. के. विष्णुप्रिया देवी (अ.सा. 10) ने प्रमाणित किया था कि "कथन दर्ज करते समय रोगी होश में है"। यह अभिलेख में आया है कि आहत श्रीमती वेंकटरमन्ना के शरीर पर व्यापक रूप से जलने की चोटें आई थीं। शव परीक्षण करने वाले डॉ. पी. कोटेस्वर राव (अ.सा.9) ने कहा कि आहत 90 प्रतिशत जल चुकी थीं। इस प्रकरण में जैसा कि पहले कहा गया है, अभियोजन पक्ष का प्रकरण केवल मृत्युकालीन घोषणा पर आधारित था। अतः अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह मृत्युकालीन घोषणा को वास्तविक, सत्य और सभी संदेहों से मुक्त साबित करे और इसे तब अभिलिखित गया जब आहत व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था। हमारे मत में, डॉ. श्रीमती के. विष्णुप्रिया देवी (अ.सा. 10) द्वारा अंत में मृत्युकालीन घोषणा के साथ जोड़ा



गया प्रमाण- पत्र आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया क्योंकि वह यह प्रमाणित करने में विफल रही है कि मरने की घोषणा दर्ज करने के समय आहत मन की स्वस्थ स्थिति में था। अंत में उक्त विशेषज्ञ के प्रमाण- पत्र में केवल यह कहा गया है कि "कथन दर्ज करते समय रोगी होश में है"। इन भौतिक चूक को देखते हुए, मृत्युकालीन घोषणा (प्र..P-14) को सही और वास्तविक के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा और जैसा कि तब किया गया था जब आहत व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था। नीचले न्यायालयों के निर्णयों से यह प्रतीत होता है कि इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था और परिणामस्वरूप उन्होंने उक्त मृत्युकालीन घोषणा (प्र..P-14) को सही, वास्तविक और तब किया गया जब आहत व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, स्वीकार करने में गलती की। चिकित्सा विज्ञान में दो चरण अर्थात् चेतन और मन की स्वस्थ स्थिति अलग हैं और समानार्थी नहीं हैं। व्यक्ति सचेत हो सकता है परन्तु जरूरी नहीं कि वह मन की स्वस्थ स्थिति में हो। इस विभेद को निचले न्यायालयों ने नजरअंदाज कर दिया था।"

34. परमबका रोसम्मा (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मृत्युकालीन कथन में एक कमी है; जहाँ पीड़ित को लगभग 90% गहरी उष्मीय चोटें आई थीं (जैसा कि 'मर्ग सूचना' और हलफनामों के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ऊपर बताया गया है), और इसके बावजूद चिकित्सक का कोई ऐसा प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है जो यह घोषित करता हो कि पीड़ित मृत्युकालीन कथन करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम था।

35. वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-11) सुधांशु बघेल ने मृतका की मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सक द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रमाण- पत्र को लेने की जहमत नहीं उठाई है। एक पीड़ित की मृत्युकालीन घोषणा एक मजबूत साक्ष्य



है और इसका बहुत महत्व है, परन्तु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उक्त घोषणा पीड़ित द्वारा मन की स्वस्थ स्थिति में की गई हो।

36. वर्तमान प्रकरण में, मृत्युकालीन घोषणा (प्र. P/17) अभिषेक राठौर, तहसीलदार (अ.सा.-9) द्वारा अभिलिखित की गई थी, जिसने इलाज करने वाले चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जहमत नहीं उठाई। न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में, उक्त साक्षी ने यद्यपि कहा कि चिकित्सक से मौखिक सहमति प्राप्त करने के बाद ही, वह मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित करने हेतु आगे बढ़ा, परन्तु वह उस चिकित्सक का नाम भी नहीं बता पाया जिसने प्रमाणित किया था कि मृतका अपना अभिसाक्ष्य देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी। इस तरह के प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

37. इलाज कर रहे चिकित्सकों, डॉ. समृद्धि अग्रवाल और डॉ. अजीज आलम का नाम राज्य के मुख्य सचिव और चिकित्सा अधीक्षक, डी.के.एस. सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर द्वारा शपथ-पत्र दाखिल करने के बाद ही सामने आया है। इन चिकित्सकों का इस प्रकरण में साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं किया गया है जो मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में कुछ प्रकाश डाल सकते थे। मृतका की मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में इलाज करने वाले चिकित्सक से प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति जांच अभिकरण की एक बड़ी कमी है और उक्त कमी निश्चित रूप से आरोपी/अपीलार्थी के लिए फायदेमंद होती क्योंकि ऐसे किसी भी प्रमाण-पत्र के अभाव में, अपीलार्थी को सिद्धदोष करना सुरक्षित नहीं होगा।

38. इस प्रकार, इस बात पर गंभीर संदेह प्रतीत होता है कि क्या मृतका ने स्वयं आत्महत्या का प्रयास किया और अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया क्योंकि घटना दिनांक को मृतका और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया होगा या यह दुर्घटनावश आग लगने का प्रकरण हो सकता है।



39. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, हमारा मत है कि मृत्युकालीन घोषणा के लिए कोई संपोषक साक्ष्य नहीं है और अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई अन्य साक्ष्य ही है। अतः केवल मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष करना असुरक्षित होगा।

40. उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, और भारी मन से, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने में गंभीर विधिक त्रुटि की है क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, मृत्युकालीन घोषणा (प्र. P/17) के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोष सिद्ध को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी पर धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अधिरोपित गया दोष सिद्ध और दण्ड दण्डनीय है और तदनुसार अपास्त दी जाती है।

41. पूर्वगामी कारणों से, अपीलार्थी-**रमेश चक्रधारी** द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.वि. की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि और दण्ड को इसके एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी, जिसके बारे में बताया गया है कि वह जेल में है, यदि किसी अन्य दाण्डिक प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

42. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र सं. 45 के संदर्भ में संबंधित न्यायालय के समक्ष समान राशि में दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों के साथ तुरंत एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा और साथ ही यह वचन भी प्रस्तुत करे कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका या



अनुमति प्रदान किए जाने की याचिका दायर किए जाने की दशा में उपरोक्त अपीलार्थी उसके नोटिस की प्राप्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

43. इस प्रकरण को छोड़ने से पहले, यह न्यायालय राज्य के अधिकारियों, विशेष रूप से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को याद दिलाना उचित समझता है कि इससे पहले, इस न्यायालय ने दाण्डिक अपील सं. 1293/2022 [भेमेश्वर बनाम राज्य] में 07.10.2025 दिनांकित आदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सभी संबंधित अधिकारियों और जांच अभिकरणों को तुरंत आवश्यक और व्यापक निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसे मामलों में कोई प्रक्रियात्मक चूक न हो जिसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त व्यक्तियों को अनुचित रूप से बरी किया जा सके। राज्य के समस्त दण्डाधिकारियों/कार्यपालक दण्डाधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और जांच अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया जाए कि मृत्युकालीन घोषणा दर्ज करते समय, उपस्थित चिकित्सा अधिकारी से एक स्पष्ट, लिखित और समकालीन प्रमाण- पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जो सुसंगत समय पर घोषणाकर्ता की मानसिक स्वास्थ्य को प्रमाणित करता है। इस तरह के प्रमाणन को मृत्युकालीन घोषणा की वास्तविकता और स्वैच्छिकता के बारे में किसी भी संदेह को समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में माना जाएगा। इन निर्देशों के अनुपालन की पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा सख्ती से निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाण्डिक न्याय प्रक्रिया की अखंडता संरक्षित है और विचारण न्यायालयों को सिद्धदोष या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज करने में विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य से सहायता मिलती है।

44. इसके अलावा, इस न्यायालय ने दाण्डिक अपील सं. 499/2025 (सीताराम रवि बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में 07.08.2025 दिनांकित आदेश में निर्देश दिया था कि यह प्राधिकारी विधि के अनिवार्य उपबंधों का सख्ती से पालन करेंगे ताकि अभियुक्त वर्तमान अपराध जैसी खामियों का लाभ न उठा सके। राज्य में विधि का शासन बनाए रखने के



लिए इस तरह के अपराध से विधि के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दोषी को विधि के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विचारण न्यायालय अभियोजन और जांच अभिकरणों की कार्रवाइयों की भी देखरेख करेगी जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने छोटन साव व एक अन्य बिहार राज्य {(2014) 4 एस. सी. सी. 54} तथा गुजरात राज्य बनाम किशनभाई व अन्य {(2014) 5 एस. सी. सी.108} के मामलों में संकेत दिया है।

45. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत वापस भेजा जाए।

46. इस निर्णय की एक प्रति छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।